विभागीय अधिसूचना क्रमांक सं. एफ. 9(31)रेव–6/2006/15 दिनांक 09.07.2012 का हिन्दी अनुवाद।

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

सं. एफ. 9(31)रेव–6/2006/15 जयपुर, दिनांक : 09.07.2012

अधिसूचना

राज्य सरकार, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 261 और 90 के साथ पठित धारा 101 की उप–धारा (1) और राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 27) की धारा 7 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2011 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.**– राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (iक) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(iक) 'शौर्य पुरस्कार' से भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शौर्य पुरस्कारों में से कोई भी पुरस्कार अभिप्रेत है –

(क) परमवीर चक्र

(ख) अशोक चक्र

(ग) महावीर चक्र

(घ) कीर्ति चक्र

(ङ) वीर चक्र

(च) शौर्य चक्र

(छ) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस और अग्नि सेवा पदक

(ज) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक

(झ) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का अग्नि सेवा पदक

(ञ) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक

(ट) शौर्य के लिए सेना/नौ सेना/वायु सेना पदक

(ठ) शौर्य के लिए पुलिस पदक

(ड) शौर्य के लिए अग्नि सेवा पदक

(ढ) शौर्य के लिए होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक "

3. **नियम 4 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) में,–

(i) विद्यमान खण्ड (क) से (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) परमवीर चक्र	20,00,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(ख) अशोक चक्र	18,00,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(ग) महावीर चक्र	15,00,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(घ) कीर्ति चक्र	10,00,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि

	के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(ङ) वीर चक्र	8,00,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(च) शौर्य चक्र	6,00,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(छ) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस और अग्नि सेवा पदक	75,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु.नकद।
(ज) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	8,00,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(झ) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का अग्नि सेवा पदक	50,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(ञ) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक	50,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(ट) शौर्य के लिए सेना/नौ सेना/वायु सेना पदक	2,00,000/– रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज–II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।

(ठ) शौर्य के लिए पुलिस पदक	6,00,000/- रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज-II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(ड) शौर्य के लिए अग्नि सेवा पदक	30,000/- रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज-II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद।
(ढ) शौर्य के लिए होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक	30,000/- रु. नकद और इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज-II में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के बदले 4.00 लाख रु. नकद। "

(ii) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि वह व्यक्ति, जिसने 1 अक्टूबर, 2011 से पूर्व शौर्य पुरस्कार प्राप्त किया है, उपर्युक्त तारीख से पूर्व लागू नियम 4 के उपबंधों के अनुसार नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान का हकदार होगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

(जी.डी. आर्य)

शासन उप सचिव।

राजस्थान सराकर

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 सं. एफ. 9(31)रेव-6/2006/22 जयपुर दिनांक : 16-8-12

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस विभाग की समसंख्यक अंग्रेजी अधिसूचना दिनांक 09.07.2012 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 16.8.12 में प्रकाशन हेतु।
11. "राविरा" राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
12. उप निबन्धक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।।
13. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव 14/8/12

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक :–प.14 (46)रामले / परिपत्र / 88–89 / 4173–478 दिनांक :– 6–9–12

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

(1)– निरीक्षक राजस्व लेखा, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
(2)– निरीक्षक राजस्व लेखा, संभागीय आयुक्त——————
(3)– निरीक्षक राजस्व लेखा, आ0ले0जांच दल (आय) मु0 जिला कलक्टर——————
(4)– निरीक्षक राजस्व लेखा,मुख्यालय जिला कलक्टर——————
(5)– निरीक्षक राजस्व लेखा, ए0पी0आर0टी0टोंक।
(6)– संयुक्त निदेशक, जयपुर इसका राजस्व मण्डल राज. अजमेर की वेबसाईट पर डालने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (आय)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर